

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1 (592)स्था/निकाशि/96/
समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

दिनांक 7.6.2013

विषय:- परिपत्र क्रमांक एफ 1(592)स्था/निकाशि/96/590-593 दिनांक 28.5.13
के संदर्भ में

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्र द्वारा ग्रीष्मावकाश के दौरान बिना औचित्य के राजकार्य हेतु व्याख्याताओं को रोकने के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश दिए गए थे। उपरोक्त परिपत्र की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अकादमिक सत्र 2013-14 के प्रारम्भ होने से पूर्व ग्रीष्मावकाश के दौरान यदि व्याख्याताओं को राजकार्य हेतु महाविद्यालय में रोकने की आवश्यकता हो तो इसका औचित्य अंकित करते हुए प्रस्ताव समय रहते हुए निदेशालय में प्रेषित करें। स्मरण रहे कि अनुमति के बिना व्याख्याताओं को रोकने पर पूर्वकालिक प्रभाव से कार्मिकों को किसी प्रकार का लाभ देना सम्भव नहीं होगा।

भवदीय

६०

(डा. आर.के. कोठारी)

संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांक एफ 1 (592)स्था/निकाशि/96/626-629

दिनांक 7.6.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. प्राचार्य, संस्थापन शाखा, निदेशालय।
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

६०
संयुक्त निदेशक